

“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०”

पेश लफ़्ज़ (पहली बात)

अज़ जनाब मौलाना सय्यद मोहम्मद राबेए हसनी नदवी साहब मदज़िल्लहु (मोहतमिम) दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ (उ.प्र.)

अलहमदो लिल्लाहि वस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिना रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह व अला आलिही व असहाबिही अजमईन०

मुसलमानों का समाज कुरआन शरीफ़ व हदीस शरीफ़ की तालीम की रोशनी में एक बहुत अच्छा और साफ़-सुथरा समाज बनता है। लेकिन जब इस्लामी क़ानून की पाबन्दी करने में मुसलमान ढीले हो जाते हैं। (इस्लामी क़ानून की पाबन्दी करना छोड़ते जाते हैं) तो समाज में ख़राबियाँ आ जाती हैं।

इस वक्त हिन्दुस्तान में मुसलमानों के समाज में बहुत सी बुराईयाँ पैदा हो गई हैं। शादी-ब्याह की रुस्में, आपस के ताल्लुक्कात और बहुत-सी बुरी आदतें ज़ोर पकड़ रही हैं। इनसे ख़ाविंद, बीवी के संबंध ख़राब होते हैं। औलाद की परवरिश और देखरेख में बिगाड़ पैदा होता है, ग़रीबों के साथ ज़्यादाती होती है। आपस में बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। ज़रूरत है कि मुसलमान अपने समाज को ठीक

बनाएं। बुरी आदतों को छोड़ें। जूए, शराब वगैरह से बचें। फ़ज़ूल ख़र्ची करना छोड़ें। ऐसे काम करें कि उनका और क़ौम का भला हो। अल्लाह तआला और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे व सल्लम के हुक्मों पर चलें और शरीअत की पूरी-पूरी पाबन्दी करने की कोशिश करें।

दारुल उलूम नदवतुल उलमा में “इस्लाह मआशिरा कांफ़्रेंस” में (समाज में दुरस्ती लाने की कोशिश की कांफ़्रेंस) जो ३०, ३१ जुलाई १९९४ई. को हुई।

उसके सदर (प्रेसीडेन्ट) जनाब हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली साहब नदवी मद्ज़िल्लहुल आली ने एक बहोत पुरअसर (असर करने वाली) तक़्रीर की जिसमें समाज में आपसी व्यवहार में जो बिगाड़ पैदा हो गया है, उसको दूर करने की तरफ़ ध्यान दिलाया है और इस्लाम के हुक्मों पर अमल नहीं करने के नुक़सान से डराया है। तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए यह तक़्रीर (स्पीच) हिन्दी में छपन्नाई जा रही है, उम्मीद है कि इसको पढ़कर मुसलमान अमल करने की कोशिश करेंगे और रसूमात और बुराईयों से बचने की कोशिश करेंगे और इससे फ़ाईदा उठाएंगे।

मोहम्मद राबेए हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

अलहमदो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० वस्सलातो वस्सलामो अला सय्यदिल मुरसलीन व खत्तेमिन्नबीयीन; मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैही व आलिही व असहाबिही अजमईन वमन तबेअहुम बि एहसान व दआ बिदावते हिम इला यौमिदीन । अम्मा बाद०

(१) या अय्योहल-लज़ीना-आमनु-दख़ोलू फ़िस्सिलमि काफ़फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान० इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन० (पारा दुसरा, रूकु ९)

मतलब- ऐ ईमान वालो ! इस्लाम में सारे के सारे दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दमों की पैरवी न करो, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है ।

(२) अफ़ हुकमल जाहिलिय्यते यबगून० व मन अहसनो मिनल्लाहि हुकमललि क़ौमियुक्किनून० (पारा ६, रूकु ११)

मतलब- तो क्या जाहिलिय्यत का फ़ैसला चाहते हो । हालाँकि जो लोग यक्कीन रखने वाले हैं । उनके यहाँ अल्लाह तआला से बेहतर और कोई फ़ैसला करने वाला नहीं ।

हज़रात ! मैंने आपके सामने कुरआन शरीफ़ की दो आयतें पढ़ी हैं, बहुत से पढ़े-लिखे लोगों को और खासतौर से जो कुरआन शरीफ़ से ताल्लुक रखते हैं। वे शायद सोचते होंगे कि इन आयतों को क्यों चुना गया है और आज के मक़सद से। इनका क्या ताल्लुक (संबंध) है।

लेकिन ज़िन्दगी (जीवन) के लिए और ज़िन्दगी के तमाम कामों के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए यह दो आयतें हमेशा ध्यान में रखकर अमल करने के लिए ज़रूरी हैं।

हज़रात ! सारी समस्या, सारा मसला इस्लाम और जाहिलिय्यत के फ़र्क़ का है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से पढ़े-लिखे भाई भी “इस्लाम” और “जाहिलिय्यत” के अन्तर को भूल चुके हैं। क्योंकि जाहिलिय्यत उनके नज़दीक (उनकी दृष्टि से) ख़त्म हो चुकी है। वह जाहिलिय्यत को जाहिलिय्यत अरबिया ही सोचते हैं, वह समझते हैं कि अब ‘जाहिलिय्यत’ और इस्लाम की कोई कशमकश (खींचतान) नहीं है और इसके बारे में सोचना अपने समय को बरबाद करना है। मगर सच्ची बात यह है कि मुसलमानों में जो भी ख़राबियाँ और कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हैं, वह सब इस फ़र्क़ को भूल जाने के नतीजे में ही पैदा हुई हैं। जोकि इस्लाम और जाहिलिय्यत में है।

मैंने जो पहली आयत “सूरह बकरा”की पढ़ी है। अल्लाह तआला फ़रमाता है “या अय्योहल लज़ीना आमनु दख़ौलू फ़िससिलमी काफ़्फ़ह० वला तत्तबिऊ ख़ोतो वातिश शैतान० इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन०

ऐ ईमानवालों ! इस्लाम में सारे के सारे दाख़िल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो, क्योंकि वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।

ऐ ईमानवालो ! तुम “सिल्म” में दाख़िल हो जाओ और “सिल्म” का मतलब मैंने मुस्तनद और मोअतबर तरजुमों में देखा है कि “इस्लाम” से किया गया है यानी ऐ ईमान वालों ! मुसलमानी और इस्लाम में सारे के सारे (पूरे के पूरे) दाख़िल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो। (उसके बहकाने पर मत चलो) वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

पहली बात यह है कि इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। मैं अर्ज़ करूँगा कि जिन्होंने (धर्मों के इतिहास को नहीं पढ़ा होगा। उनके दिमाग़ में यह बात नहीं होगी कि इस्लाम ही वह धर्म है (दुनिया का) जो तौर-तरीक़ो, उसूल व अक़ीदों और जीवन को गुज़ारने के नियमों के नाम से ही जाना गया है। वरना दूसरे सब धर्म, धर्म के चलाने वालों के नाम से

या देश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ईसाई धर्म, हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हिन्दू धर्म हिन्दुस्तान के नाम पर है। बुद्ध मत, गौतम बुद्ध के नाम पर है।

लेकिन इस्लाम ही वह धर्म है, जो किसी के नाम पर नहीं है। बल्कि अल्लाह तआला के बताए हुए तरीकों और हुक्मों की तरफ़ मनसूब है। इस्लाम का पूरा दारोमदार अक़ीदे और शरीअत पर है। अब सोचने और समझने की यह बात है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है “या अय्युहल लज़ीना आमनु दख़्रौलू फ़िस सिलमे काफ़्फ़ाह” मतलब— ऐ ईमानवालों ! इस्लाम और मुसलमानी में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ। इसमें यह बात समझने और सोचने की है कि इसमें बताया गया है कि सौ फ़ीसद (शत प्रतिशत) इस्लाम में दाख़िल हो जाना चाहिए। मुसलमान भी शत प्रतिशत होना चाहिए और इस्लाम भी उनमें शत-प्रतिशत होना चाहिए। न मुसलमानों में कोई रिज़रवेशन है और नहीं इस्लाम में कोई रिज़रवेशन है। यह एक ख़ास बात है जिसको आप साथ लेकर जाएँ और इसको फैलाएँ। अल्लाह तआला का मुतालबा (डिमांड) कुरआन शरीफ़ की आयत से यह है कि मुसलमानों को सौ-फ़ीसदी इस्लाम में दाख़िल हो जाना चाहिए और दूसरे धर्मों की तरह यह

नहीं कि अक्राइद (विश्वास) ले लिए और दूसरी बातें सब छोड़ दीं या प्रार्थना (इबादत) का तरीका ले लिया । और जीवन में तमाम क़ानून क़ायदे जो कि धर्म ने बतलाए हैं, उन सबको छोड़ दिए । (कि किस तरह से एक-दूसरे के हक़ अदा करना, वग़ैरह) हर धर्म ने एक, एक या दो-दो या तीन-तीन हिस्से लिए और बाक़ी सब छोड़ दिए । मगर इस्लाम धर्म यह मुतालबा (माँग) कर रहा है कि हर एक मुसलमान को पूरा का पूरा शत-प्रतिशत इस्लाम में दाख़िल हो जाना चाहिए । मुसलमानों में रिज़रवेशन नहीं है कि मुसलमान पचास प्रतिशत के या ७५% के पाबन्द है और बाक़ी से छुटकारा है । बल्कि यहाँ तो यह माँग है कि शत-प्रतिशत इस्लाम होना चाहिए । एक प्रतिशत भी कम नहीं होना चाहिए । इसमें किसी क़िस्म की रिआयत या छूट नहीं दी गई है या किसी क़िस्म का ख़ास मआमला नहीं किया गया है । इस को धर्म और अपना हिसाब लेने के लिए एक रहनुमा उसूल और क़ायदा दिया गया है । अल्लाह तआला का पहला मुतालबा (माँग) यह है और कुरआन शरीफ़ का साफ़-साफ़ हुक्म यह है कि शत-प्रतिशत मुसलमानों को शत-प्रतिशत इस्लाम में दाख़िल हो जाना चाहिए । नहीं पढ़े-लिखे लोगों को कोई छूट, नहीं, ऊँचे ख़ानदान वालों को कोई छूट है, यहाँ तक

कि बड़े से बड़े हाकिम को भी इसकी छूट नहीं है। बड़े से बड़े बादशाह, मुल्क के सदर, बड़े से बड़े क़ानून जानने वाले और क़ानून बनाने वाले, बड़े से बड़े फ़ौज के आफ़िसर किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है। कि इनको नमाज़ पढ़ने की फ़ुरसत नहीं। इसलिए इनको नमाज़ से छूट दी जाती है, या किसी को हज करने से छूट दी जाती है या जिस पर हज फ़र्ज़ है, उसको हज करना पड़ेगा इससे छूट दी जाती है।

इसी तरीक़े से सब मुसलमान, तरके और मीरास के क़ानून के पाबन्द हैं। (मरने के बाद बंटवारे के जो क़ानून है उनके) हमारा यह “इस्लाह मआशरह” का जलसा और आज की तक्ररीरें और मशोरे सबके सब इसके अन्दर आ जाते हैं कि “या अय्युहल लज़ीना आमनु दख़ोलू फ़िस्सिलमि क़ाफ़ाह० ऐ ईमान वालों ! इस्लाम में और मुसलमानी में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ। इसका यह मतलब है कि सौ फ़ीसद मुसलमान और सौ फ़ीसद इस्लाम होना चाहिए। आज आप अगर मालूमात हासिल करें, तो यह मालूम होगा कि आज मुसलमानों में इस तरह की तक्रसीम पाई जाती है कि इस दीन (धर्म) के क़बूल करने वालों में भी छूट पाई जाती है और रिज़रवेशन पाया जाता है, मगर कुरआन शरीफ़ की आयत से इसकी बिल्कुल

गुंजाईश नहीं है कि हम अक्काईद लेंगे और इबादत छोड़ देंगे। या अक्काईद और इबादत लेंगे और आपस के मामलात के क़ानूनों को छोड़ देंगे या मरने के बाद के तरके व मीरास के क़ानूनों को छोड़ देंगे। इसमें किसी भी चीज़ को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं और इसको अपने साथ लेकर जाएं तो यह सारी उम्र के लिए काफ़ी है। मुसलमानों को साफ़ हुक्म है कि वे शत-प्रतिशत (सौ फ़ीसद) इस्लाम में दाख़िल हों। अब आप अपने बारे में खुद सोचिए और हमेशा सोचते रहिए कि क्या आपने शत-प्रतिशत इस्लाम को क़बूल किया और क्या आप इस्लाम के हुक्मों पर शत-प्रतिशत अमल कर रहे हैं? क्या आपका व्यावहार (बर्ताव) एक-दूसरे के साथ भी इस्लाम के क़ानून के मुताबिक़ है? आपके रुस्मो-रिवाज, आपकी घरेलू ज़िन्दगी, आपसी ताल्लुक़ात और आपके ख़ानदानों में जिन रुस्मों और मामूलात पर अमल हो रहा है, वे भी क्या इस्लाम के मुताबिक़ हैं? और क्या आप इस्लाम के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं? जो मिसाली मुसलमान थे और जो क़यामत तक नमूना रहेंगे, वह इस्लाम के हुक्मों को किस तरह से पूरा करते थे और उन्होंने ज़िन्दगी में इस्लाम के क़ानूनों पर चलकर किस तरह हमको बता गए हैं कि उन्होंने

शादी-ब्याह और मौत-मरन में किस तरह इस्लाम के क़ानूनों पर अमल किया था ।

मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सहाबा किराम (रिदवानुल्लाहितआला) की जमीअत कोई ख़ालिस रुहानी जमाअत नहीं थी । यह बात नहीं थी कि उनको सिर्फ़ अक़ीदे की ज़रूरत थी । आप उनके बारे में जानकारी हासिल करें । सीरत और हदीस की किताबों में मस्जिदों का हाल पढ़ें उनकी नमाज़ों का हाल पढ़ें उनकी तहज्जुद गुज़ारी और रात को इबादत करने के वाक़िआत को पढ़ें, लेकिन आप उनकी शादियों को न देखें । उनकी शादियों के तरीक़े को न देखें । यह इस बात के खिलाफ़ होगा (जो हमें इस आयत से मिलती है “उदख़लू फ़िस्सलमे क़ाफ़़ाह” दीन को हमें पूरे तौर पर अपने अन्दर ज़ब्ब करना चाहिए (दीन की बात पर पूरे तरीक़े से अमल करना चाहिए) और अपने आपको दीन के ताबे बनाना चाहिए (जैसा दीन का हुक्म है, उस पर अमल करना चाहिए) हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की मुबारक ज़िन्दगी के हालात और सहाबा किराम के हालाते ज़िन्दगी को अमल करने की निय्यत से ही पढ़ते रहना चाहिए । बहुत ज़माने से यह ग़लती हो रही है, पूरे आलमे इस्लाम में और ख़ासकर हमारे मुल्क हिन्दुस्तान में कि हम सहाबा किराम और वली

अल्लाह और बड़े-बड़े आलिमों के हालात में सिर्फ़ उस हिस्से को पढ़ते और बयान करते हैं। जिसका ताल्लुक अक़ीदे से है। इबादत से है। हम (अफ़सोस है) उनके शादी ब्याह की तक़रीबात के वाक़िआत को नहीं पढ़ते कि किस तरह उन्होंने शादियाँ कीं उनकी घरेलू ज़िन्दगी के बारे में नहीं मालूम करते कि वह घर में कैसे रहते थे? इसी तरह निकाह व तलाक़ के जो मसले उनको या उनकी औलाद को पेश आते थे। वह उनको किस तरह हल कर रहे थे। हम यह नहीं देखते और पढ़ते हैं कि उनकी शादियाँ कैसे होती थीं, उनका तरका कैसे तक़सीम होता था। जब तलाक़ की ज़रूरत होती तो वह किस तरह तलाक़ देते थे।

में एक वाक़या (सहाबा किराम के, बहुत से वाक़िआत में से) बयान करता हूँ। वह वाक़िआ आँखें खोल देने वाला और एक तरह से चौंका देने वाला है।

आप ख़्याल फ़रमाईये हज़रत अबदुर्रहमान बिन औफ़रदी अल्लाहो अन्हो मुहाजिर हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अशरा मुबशशरह में दाख़िल हैं। (उन दस सहाबियों में दाख़िल हैं जिनको ज़िन्दगी में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुश ख़बरी सुनादी थी)

आप एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि

वसल्लम की खिदमत में आते हैं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। अब्दुरहमान ख़ैरियत है। आज तुम्हारे कपड़ों से खुशबू आ रही है। हज़रत अब्दुरहमान ने जवाब दिया हाँ, अल्लाह के रसूल मैंने शादी करली है। हैरत की बात यह है कि (मैं हदीस शरीफ़ के एक विद्यार्थी की हैसियत से और जो बड़े-बड़े आलिम बैठे हैं। उनकी तसदीक़ बिल्कुल काफ़ी है) यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि यह एक हिला देने वाला वाक़्या है। एक भूंचाल ले आनेवाला क्रिस्सा है कि अल्लाह के रसूल आख़री रसूल, रसूलों के सरदार, रहमतुललिल आलमीन। मदीना तय्यबा में मौजूद हैं और अपने ज़ाती तजुरबे पर कहता हूँ कि जब कोई बिरादरी कहीं दूसरी जगह जाकर बस्ती है तो आमतौर पर एक जगह रहना पसन्द करती है। मसलन हिन्दुस्तान के मैमन और खोजे जो बाम्बे में व्यापार करते थे। उनको आप तलाश करें गै तो वे सब कराची में मिलेंगे। इसी तरह की दूसरी बातों की वजह से यह यक़ीनी बात है कि हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ रदी अल्लाहुतआला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दूर नहीं रहते होंगे। लेकिन हैरत की बात है कि मदीना तय्यबा में अब्दुरहमान बिन औफ़ जैसे मुहाजिर और बड़ी इज्ज़त वाले सहाबी निकाह करते हैं और अल्लाह के रसूल

उसी शहर में मौजूद हैं। मगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को निकाह में तशरीफ़ लाने की ज़हमत नहीं देते हैं। आज हाल यह है कि लोग कहते हैं कि बरकत के लिए ही आ जाइए। आपका क़दम पहुँच जाए। यह मौलवियों से कहा जाता है। नेक दीनदार लोगों से कहा जाता है। आख़िर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को यह ख़्याल क्यों नहीं आया कि मैं निकाह कर रहा हूँ। और अल्लाह के रसूल यहाँ इतने करीब मौजूद हैं और मैं आपको बुलाऊँ। इससे बढ़कर नाशुकरी क्या हो सकती है? नाक़दरी क्या हो सकती है? बे-अदबी क्या हो सकती है? लेकिन यह वाक़्या इनकी नज़र में ऐसा था कि उनको एक शब्द भी माज़रत का (उज़्र ख़ाही का) कहने की ज़रूरत पैश नहीं आई और उन्होंने उसकी ज़रूरत भी नहीं समझी कि या रसूलुल्लाह माफ़ फ़रमाईए मुझे बिल्कुल ख़्याल नहीं रहा। वग़ैरह और इससे भी ज़्यादा हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी एक शब्द शिकायत का नहीं फ़रमाया। हदीस शरीफ़ में इसके बारे में कोई भी बात मौजूद नहीं है। एक बात यह है कि इस आयत को अपने साथ लेकर जाईए (उद खुलू फ़िस्सलमि क़ाफ़़ाह) दिमाग़ पर नक़श करके ले जाइए कि सिर्फ़ यह नहीं चाहा जा रहा है कि सिर्फ़

इस्लाम क़बूल करलो और इस्लाम में दाख़िल हो जाओ, बल्कि चाहा यह जा रहा है, मुतालबा यह किया जा रहा है कि इस्लाम में शत-प्रतिशत (सौ फ़ीसद) दाख़िल हो। तुम भी सौ फ़ीसदी हो और इस्लाम भी सौ फ़ीसदी (शत-प्रतिशत) हो। न इसमें रिज़रवेशन न उसमें रिज़रवेशन) और आज क्या है? जो लोग इस्लाम की दौलत से मुशररफ़ हैं उन्होंने भी तक़सीम कर रखी है। दीन का इतना हिस्सा मानेंगे और इतना हिस्सा छोड़ देंगे और वह उनकी ताक़त से बाहर है।

“इस्लाह मआशिरह” की दावत का (समाज में दुरस्ती लाने की कोशिश) का एक खुलासा पैग़ाम और जीवन का एक ख़ास उसूल यह है कि “या अय्योहल लज़ीना आमनुद ख़ोलू फ़िससिलमि क़ाफ़ाह” वह लोग जो ईमान लाए हो इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ। मुसलमानी में शामिल हो जाओ। “क़ाफ़ाह” का ताल्लुक़ दोनों से है “दाख़िल होने वाले से भी है और जिस दायरे में दाख़िल हो रहे हैं। उससे भी है वह भी क़ाफ़ाह यह भी क़ाफ़ाह। इस तरह नहीं कि मस्जिद जाएँ और एक क़दम मस्जिद के अन्दर रखा “बस हम मस्जिद में आ गए या दोनों पैर मस्जिद में रखदें और अन्दर न जाएँ या अन्दर तो जाएँ, लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ें। यह नहीं “उदख़ोलू

फ़िससिलमि क़ाफ़ाह” पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ और आमिल बन जाओ । दाख़िल होकर आमिल भी बने (अमल भी करो) ।

इसके बाद मैंने दूसरी आयत आपके सामने पढ़ी है । (सुरह माईदा की आयत है, पारा ६) “अफ़ हुकमल जाहिलिय्यते यबगून वमन अहसनो मिनल्लाहि हुकमल लि क़ौमि यूक्रिनून” क्या वह जाहिलिय्यत का हुक्म चाहते हैं ? में हुक्म के बारे में अर्ज़ करदूँ कि हुक्म का शब्द कुरआन मजीद में बड़ा वसी और बलीग़ है (इसके कई अर्थ होते हैं) हुक्म का अर्थ सिर्फ़ क़ानूनी फ़ैसले के ही नहीं हैं, बल्कि तरजीह और इख़्तयार के भी हैं । (किसी चीज़ को पसन्द करना और मानना, के भी हैं) हुक्म का शब्द इन सब मानी पर हावी है । अल्लाह तआला फ़रमाता है कि क्या जाहिलिय्यत के फ़ैसले को क्या जाहिलिय्यत के इनतिख़ाब को, क्या जाहिलिय्यत के उसूल को वह पसन्द करते हैं और चाहते हैं ? वमन अहसानो मिनल्लाहि हुकमललि क़ौमि यूक्रिनून” अल्लाह तआला से बहतर और अच्छा हुक्म देने वाला (उन लोगों के लिए जो यक़ीन रखते हैं) कौन है ?

दूसरी बात यह है कि जाहिलिय्यत के मानी भी भुला दिए गए हैं । जहिलिय्यत के ज़माने की वुसअत को बहुत

कम लिया गया है। मैं कहता हूँ एक सीरत निगार की हैसियत से और एक ऐसे खुश किसमत इन्सान की हैसियत से जिसको अल्लाह तआला ने सीरत के बारे में लिखने की तौफ़ीक़ अता की है कि जाहिलिय्यत से भी हमारा ज़हन बहुत ना आशना है (जाहिलिय्यत के बारे में भी हमें पूरी-पूरी मालूमात नहीं है)। जाहिलिय्यत से लोग समझते हैं कि सिर्फ अरबों की जाहिलिय्यत मुराद है और अरबों की जाहिलिय्यत से मुराद है मूर्ती पूजा का दौर, लड़कियों को मार डालने का ज़माना, शराब पीने और लूटमार करने का ज़माना (लोगों को यही बात ज़हन में आती है)। मगर एक-दूसरे के साथ बर्ताव, जीवन बिताने के तरीक़े किन-किन चीज़ों को उस ज़माने में चाहा जाता था और किन-किन चीज़ों को उस ज़माने में बुरा समझा जाता था। यह चीज़े जाहिलिय्यत का ख़्याल आने पर दिमाग़ में नहीं आती हैं। हालाँकि जाहिलिय्यत इन सब बातों पर भी शामिल है। अगर उर्दू में जाहिलिय्यत का तरजुमा किया जाए तो उसका तरजुमा यह होगा कि वह ज़माना जो नबुव्वत की रोशनी और हिदायत से महरूम रहा है, क्रौम का वह दौर (ज़माना) जो किसी नबी या रसूल की नसीहतों से महरूम रहा है। चाहे वह योरोप हो या सासानी हुकूमत हो। चाहे वह हिन्दुस्तान हो चाहे अरब हो। मैं उसका

एक-दूसरा तरजुमा करता हूँ “मन मानी ज़िन्दगी” जाहिलिय्यत क्या है। मनमानी ज़िन्दगी (जीवन) गुज़ारना यह रुह है जाहिलिय्यत की। यह स्त्रीट है जाहिलिय्यत की और जाहिलिय्यत में क्या होता है। **मनमानी ज़िन्दगी गुज़ारी जाती है।** यानी जो दिल में आए, जो हमारी सोसायटी हमारा माहौल और जो रुस्मो-रिवाज इस वक्त मुक़र्रर हो चुके हैं। हम तो उन पर चलेंगे। अमल करेंगे। यह है “मनमानी ज़िन्दगी” और इसी को कुरआन शरीफ़ और हदीस शरीफ़ की इस्तलाह (परिभाषा) में जाहिलिय्यत कहा गया है।

देखिए आप अगर हदीस शरीफ़ का जाइज़ा लें तो आपको कई जगह ऐसा मालूम होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ पर भी जिसका संबंध अक़ीदे से नहीं था उसके लिए भी जाहिलिय्यत का शब्द इस्तेमल किया (एक साहबी हैं, जिनका नाम नहीं लूँगा) उनका मामला अपने नोकर के साथ कोई मसावयाना नहीं था। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया **“इन्नका इमरुवं व फ़ीका जाहिलिय्यहं”** तुम एक ऐसे आदमी हो, तुम्हारे अन्दर जाहिलिय्यत की बू है। अब अक्काईद तलाश करने की ज़रूरत नहीं। ख़ादिम के साथ ऐसा मामला रखना कि यह मालिक है और वह नोकर है।

इसको जाहिलियत कहा और फिर इससे बढ़कर “मन तुअज़्ज़ा इलेकुम बिअज़्ज़ाईल जाहिलिय्यह” जो तुम्हारे सामने जाहिलियत की दावत दे, जो असबिय्यत जाहिलियत की तरफ़ बुलाए और जाहिलियत का नारा लगाए, उसके साथ सख़्त कलामी करो, में उसको उलमा के लिए छोड़ देता हूँ। उसका तरजुमा नहीं करूँगा। सख़्त से सख़्त बात उसके सामने कहो “वला तकनू” और किनाया और इशारे से भी काम न लो, उसको जाहिलियत क्यों कहा? इसका ताल्लुक अक्कीदे से नहीं है। उसका ताल्लुक तोहीद के अक्कीदे से नहीं आख़िरत के ईमान से नहीं, रसूल को मानने से नहीं तो मालूम हुआ कि इस्लाम सिर्फ़ इसी का नाम नहीं कि सिर्फ़ अक्काईद दुरस्त हों और नमाज़ की पाबन्दी की जाए या और दूसरी इबादत पूरी की जाती रहे। बल्कि दूसरी चीज़ें भी अक्काईद असासिया में आ जाती हैं। (बुन्यादी अक्कीदों में है) और वे भी इसी दायरे में हैं। क्या हम शादी करने में आज़ाद हैं? हम परदा करने या न करने में आज़ाद हैं? हम कोर्ट में मुक़दमे ले जाने में आज़ाद हैं? इसलिए इन चीज़ों में हमसे कोई कुछ न पूछे और न हमें रोके। क्या यह दीन के दायरे में नहीं आते हैं? आज का ख़ास पैग़ाम जिसके लिए आपको तकलीफ़ दी गई है, यह है कि आप दीन (धर्म) का सही मतलब समझ

लें। एक है “इस्लाम” एक है “जाहिलिय्यत” अब आप यह देखिए कि जो ज़िन्दगी (जीवन) गुज़र रही है। मुसलमानों की क्या वह इस्लाम के मुवाफ़िक़ है? इस्लाम चाहता है कि मुसलमान पूरा का पूरा सौ फ़ीसदी इस्लाम की बातों पर अमल करते हुए अपनी ज़िन्दगी गुज़ारे, जैसा कि आयत में कहा गया है कि “उद खुलूफ़ि ससिलमि काफ़्फ़ाह” पूरे के पूरे इस्लाम में दाख़िल हो जाओ। इसलिए इसकी हरगिज़ गुनजाईश नहीं कि मुसलमान धर्म के बहुत से हुकमों का पालन करते रहें और उनकी इज़ज़त करते रहें। मगर बहुत-सी बातों में आज़ाद रहकर रिवाजों की पाबन्दी करते रहें। में इसको ज़रा तफ़सील से बयान करना चाहता हूँ।

साहब ! शादी-ब्याह में भी दीन का नाम लेना और उसमें भी सुन्नत और शरीअत का हवाला देना। इसकी भी पूछताछ करना कि यह शादी इतने धूमधाम से क्यों हुई? साहब अल्लाह तआला ने दोलत दी थी और हमारे कुनबे और ख़ानदान और हम जहाँ रहते हैं, वहाँ का यही तरीक़ा है। मगर याद रखिए क़ुरआन शरीफ़ ने जो क़ानून दिया है और शरीअत ने जो क़ानून बनाया है और तशरीह की है। उसी क़ानून पर शादी ब्याह में भी अमल होना ज़रूरी है।

मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों ! यह आयतें हैं आप इनकों अपने दिमाग में रचा-बसाकर जाइए कि एक तो मुतालबा है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का तुम भी पूरे के पूरे और तुम्हारा इस्लाम भी पूरा का पूरा । यह नहीं कि अक्काईद पूरे के पूरे उसमें कोई कमी नहीं होगी । अक्काईद हमारे सर आँखों पर । इबादात में हम बिल्कुल कमी नहीं करेंगे । मगर साहब यह कि शादी किस तरह हो और निकाह व तलाक के बारे में, मीरास के बारे में और खानदान के ताल्लुकात के बारे में हमें आज्ञाद छोड़ दीजिए (इन बातों में हम आज्ञाद रहें) ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है ।

“या अय्योहल लज़ीना आमनुद ख़ोलू फ़िससिलमि क़ाफ़फ़ाह वला तत्तबिऊ ख़ोतोवातिश शैतान”, “ऐ ईमानवालों ! इस्लाम में सारे के सारे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो (उसके बहकावे पर मत चलो) और “ख़ोतो वातिश शैतान” में भी बड़ी बलागत है कि अगर तुमने यह नहीं किया तो फिर शैतान की पैरवी होगी । यहाँ पर इसलिए उसका भी ज़िक्र किया । अल्लाह तआला सिर्फ़ फ़रमा देता “उदख़ोलू फ़िससिलमि क़ाफ़फ़ाह” लेकिन इसका जो मुतवाज़ी है । वह “वला तत्तबिऊ ख़ोतोवातिशशैतान” है ।

आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि खोतोवातिशैतान है। यह घरों को लुटा देना, जायदादों को बेच देना। सूदी कर्ज़ लेकर (ब्याज से रक़म लेना) इस खुशी में रातों को जागना, तन्दुरुस्ती ख़राब कर लेना। यह सब इसलिए है कि नाम हो जाए और शान मालूम हो कि फ़लां साहब के यहाँ बारात आई थी। उसमें २०० मोटरें थीं और इतनी बड़ी बारात थी और बारातियों को “पांच सितारा, **Five star**” होटल में ठहराया गया। मेरे पास दावत नामे आते हैं। उसमें लिखा होता है “पांच सितारा” होटल में ठहरेंगे। यह सारी चीज़े ‘उर्फ़’ में दाख़िल हो गई हैं। जिसका तरजुमा है रुस्मो-रिवाज और ज़िन्दगी के उसूल में रच-बस गई हैं।

सुनिए हमारे बाम्बे के एक दोस्त ने ज़िक्र किया कि एक निकाह में खज़ूर चोहारे तक़सीम करने के बजाए (जो सुन्नत है) वहाँ पर नोट तक़सीम किए गए। १००-१००, ५०-५०, १०-१० रुपए के नोट (कितने हज़ार रुपए निकाह में खर्च हो गए) कहाँ से इसकी इजाज़त मिली है?

हज़रात ! हमारा मुक़ाम और मनसब तो यह था कि हिन्दुस्तान में इतने दिनों से रहने से हिन्दुस्तान की जो क़दीमी क़ौम थी, उसमें हलचल पैदा हो जाती। वह हमारे

अच्छे तरीके पर ग़ौरो फ़िक्र करते वह अपने रुस्मों-रिवाज के बारे में सोचने लगते और हमारे इन बुरे रुस्मों-रिवाज से बचने की वजह से वह खुद भी इनको छोड़ते और ऐसा मालूम होता कि मुसलमानों के इस मुल्क में आने से एक अच्छा इन्क़लाब आ गया। मगर अफ़सोस है कि बजाए उसके हम उनको देते। हमने उनसे लिया। एक-एक चीज़ की तारीख़ बताई जा सकती है कि फ़लां तबके से फ़लां रुस्म ली गई है और फ़लां रुस्म फ़लां ज़माने से चलन में आई है।

हमारी इस कांफ़्रेंस की (मुझे माफ़ किजिए) यह एक अमानत है और इसका एक निशान है जिस को आप लेकर जाएं, यह दो आयतें हैं— या अय्योहल लज़ीना आमनुद ख़ोलू फ़िससिलमि क़ाफ़फ़ाह वला तत्तबिऊ ख़ोतो वातिशशैतान० जो हज़रात अरबी जानते हैं, वह महसूस करेंगे कि इन लफ़्ज़ों में भी कितना ज़ोर और बलागत है और यह एक कुरआन शरीफ़ का खुला एजाज़ है। अगर यह कहा जाए कि इसमें “जलाले इलाही” भी शामिल है, जैसा कि आलफ़ाज़ बता रहे हैं कि इसका दूसरा मतलब यह है “अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह के ग़ज़ब से डरो और अल्लाह की तरफ़ से बे-बरकती पर डरो और बुरे नतीजे से डरो।

या अय्योहल लज़ीना आमनुद ख़ोलू फ़िससि-
लमि क़ाफ़्फ़ाह, वला तत्तबिऊ ख़ोतोवात्तिश शैतान
इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन०

ऐ ईमानवालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ
और शैतान के कदमों पर मत चलो वह तुम्हारा खुला
दुश्मन है। “इससे ज़्यादा साफ़ बात और क्या कही जा
सकती है।” और दूसरी तरफ़ फ़रमाया “अफ़हुकमल
जाहिलिय्यते यबगून” क्या जाहिलिय्यत के
रुस्मो-रिवाज को चाहते हो? क्या जाहिलिय्यत की बातों
को पसन्द करते हो? क्या जाहिलिय्यत के फ़ैसलों को
चाहते हो?

मैंने अर्ज़ किया कि हुक्म के माने सिर्फ़ फ़ैसले के नहीं
है, बल्कि किसी चीज़ को पसन्द करना और क़बूल करना
और उस पर चलना भी है। यानी आदमी जो चीज़
इख़्तियार करता है, वह उसकी दलील होती है। वह भी
इसके अन्दर शामिल होती है। क्या जाहिलिय्यत का
फ़ैसला क़बूल करेंगे? क्या जाहिलिय्यत में जिस चीज़
को पसन्द किया है। उसको मानेंगे? और उसको
इख़्तियार करेंगे? और उस पर चलेंगे। यह जाईज़
नहीं। अब आप हज़रात यहाँ से पक्का इरादा करके जाएं
कि अब हमारे घरों में शरीअत के ख़िलाफ़ कोई भी

रुस्मो-रिवाज नहीं होने देंगे । इस बात की क़सम खाकर जाएं । हमारे घरों में ही नहीं, बल्कि हमारे ख़ानदानों में भी अदा नहीं की जाएगी । यह जुल्म नहीं होगा कि दहेज़ की माँग की जाए । खुदा की पनाह खुदा की ज़ात हलीम है । वरना में सच कहता हूँ कि एक ब्याही हुई लड़की को जो अभी ब्याह कर आई है । अरमानों के साथ आई है । बड़ी उम्मीदों के साथ उसको रुख़सत किया गया है । बड़ी इज़्ज़त के साथ उसकी आवभगत की गई है । सिर्फ़ इस जुर्म में कि वह दस हज़ार रुपए नहीं लाई है । उसको मार डाला जाता है । मैंने एक अख़बार में पढ़ा “देहली में एक दुल्हन आई और उसके सुसराल वालों ने दस हज़ार रुपयों का मुतालबा किया था । वह नहीं लाई (यह मुतालबा पुरा नहीं किया गया) इसलिए उसको जला दिया गया और उसका ख़ातिमा कर दिया गया । अगर इस पर ज़लज़ला (भूकम्प) आ जाए (अल्लाह महफूज़ रखे और इन शब्दों को न पकड़े) उस पर बिजली गिरे । उस पर आकर कोई दूसरी क़ौम हमला करे । कोई अचम्भे की बात नहीं । अल्लाह तआला को अपनी मख़लूक प्यारी है और इतनी प्यारी है । फ़रमाया “इन्नहू बिकुम रऊफुररहीम” वह तुम्हारे साथ रऊफ़ भी है और रहीम भी है । फिर उसकी पाली हुई, बीमारियों से बचाई हुई, तकलिफ़ों से

बचाई हुई । बड़े प्यार, मोहब्बत के साथ रखी हुई एक जान (माँ बाप को छोड़कर) आपके यहाँ आती है और बड़े अरमानों के साथ आती है और आप माँग कर लाते हैं । खुशामद करके लाते हैं । दस हज़ार रुपयों की वजह से (लानत हो ऐसे दस हज़ार रुपयों पर) जिसकी वजह से किसी इन्सान की जान जाए । **डरना चाहिए अल्लाह के ग़ज़ब और अज़ाब से** । एक जान अल्लाह को तुम्हारे करोड़ों रुपए और तुम्हारी सलतनतों से ज़्यादा प्यारी है ।

हज़रात ! आदम अलेहिस्सलाम को किस प्यार मोहब्बत के साथ पैदा किया गया । उनको फ़रिश्तों से सजदा कराया गया । उस आदम की औलाद के साथ आपका यह मामला है !

यही मैं फ़िरके वाराना फ़सादात (समप्रदायिक दंगों के) बारे में कहता हूँ । किसी कुम्हार के यहाँ जाकर तुम एक घड़ा तोड़कर देखो वह तुम्हारा सर तोड़ देगा और अल्लाह की मख़लूक इतनी भी कीमत नहीं रखती कि तुम इन्सानों के सर तोड़ो । इन्सानों की जान निकालो (एक नहीं पचासों, सेकड़ों, हज़ारों) यह वह चीज़ें है जो हमारी खुशियों के मौक़ों में दाख़िल हो गई है और ऐसी बातें ग़ज़ब (अज़ाब) इलाही को बुलाने वाली हैं, तो फिर कैसे इन खुशियों के

मौकों में बरकत हो । कैसे अल्लाह तआला की मदद आए और फिर खानदानों में और नसल में कैसे दीन की बातें मुन्तक़िल हों (हस्तांतरित हों) ।

बस हज़रात ! अगर मैंने हद से तजावुज़ किया और मेरी ज़बान से सख़्त शब्द निकले तो मैं अल्लाह तआला से माफ़ी माँगता हूँ और तौबा करता हूँ और आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ । मगर कोई समय ऐसा होता है, उसकी मिसालें हमें हज़रात मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम (जो कि रहमतुललिलआलमीन हैं) उनकी सीरत में भी मिलती हैं कि किसी वक्त ऐसे सख़्त लफ़्ज़ बोल दिए जाते हैं **“मन तअज़्ज़ा अलैकुम बिअज़ाइल जाहिलिय्यत”** इसके माने किसी आलिम से पूछें तो रूँगटे खड़े हो जाएं । जो तुम्हारे सामने जाहिलिय्यत (ख़िलाफ़ इस्लाम) का नारा लगाए । जाहिलिय्यत के किसी काम की या रिवाज की तारीफ़ करे तो तुम सख़्त लफ़्ज़ इस्तेमाल करो और ज़रा भी रिआयत से काम न लो । कौन कह रहा है ? वह रहमतुललिल आलमीन फ़रमा रहे हैं; जो सरापा रहमत हैं । वह यह कह रहे हैं कि इससे आप अन्दाज़ा लगा लीजिए कि जाहिलिय्यत को जाहिली जीवन को, जाहिलिय्यत के तौर-तरीकों को, जाहिली दावतों को

किस नज़र से अल्लाह तआला ने देखा है और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी देखा है । वह चीज़ें अपने घरों में आएँ । हमारी ज़िन्दगी का जुज़ बन जाएँ । हमारे लिए फ़र्ज़ और वाजिब का दरजा-इख़्तियार करलें (दहेज़ इतना लाओ, शादी धूमधाम से होगी, वगैरह)

मस्जिद में जाईए । किसी आलिम से निकाह पढ़वाइए । हमने तो निकाह देखे हैं । असर की नमाज़ हुई । कह दिया गया कि एक निकाह होगा । ख़ास-ख़ास रिश्तेदारों में सबको नहीं मालूम और वहीं के एक आलिम साहब खड़े हो गए । उन्होंने निकाह का खुतबा पढ़ा । ईजाबो, क़बूल करवाया और चले गए ।

यहाँ से आप वादा और पक्का इरादा करके जाएँ कि अपने घर में शरीअत के ख़िलाफ़ कुछ न होने देंगे । आप अपने रिश्तेदारों को और ख़ानदान वालों को महसूस कराइए । मोहल्ले वालों को महसूस कराइए कि यह ख़िलाफ़े शरीअत है । यह ख़िलाफ़े शरीअत भी है और अक़ल के ख़िलाफ़ भी है । और ख़िलाफ़े मसलिहत भी है । यहाँ से पक्का इरादा करके जाइए । मस्जिदों के पेशईमाम साहबान और उस्ताद साहबान और

आलिम साहबान, जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इन सबसे कहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद मस्जिद में बयान करें। वाज़ कहें और दूसरे जलसे होते हैं, उनमें भी बयान करें।

और पूरे हिन्दुस्तान में “इस्लाह मआशरा” और “इस्लाह रुस्म” की तहरीक चलाएं। (जो मुस्लमानों में बुराईयाँ पैदा हो गई हैं, उनको दूर करने के लिए कोशिश करें) अल्लाह तआला मदद फ़रमाएगा। बरकत देगा। और आपको मज़हब के एक अहम शोबे की तबलीग़ और उसके अहया (फ़ैलाने का) जो बहुत बड़ा सवाब है, वह अता फ़रमाएगा।

व आख़िरो दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन०

**“बार-बार पढ़िए और अमल
करने और कराने की
कोशिश करते रहिए”**